न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 11/2019

दिनांक–26.08.2019

छोटूराम पुत्र धन्नाराम उर्फ धान्या जाति जाट निवासी तुर्कानी जोहडी तन खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 21.11.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तुर्कानी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में नई खाता संख्या 12 भूमि खसरा नम्बर 187/1.82, 209/0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टर स्थित है, जिसके संबंध में प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। वादी के पिता का नाम धन्नाराम है तथा इसी नाम से पहचाना व जाना जाता था। वादी के परिवार के राशनकार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, आधार कार्ड भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र बैंक पासबुक आदि समस्त दस्वातेजात में तथा वादी की अन्य खातेदारी की भूमि खाता संख्या 13 में वादी के पिता का नाम धन्नाराम है, परन्तु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी के पिता का नाम धन्नाराम के बजाय धान्या दर्ज हो गया, जबकि सही नाम धन्नाराम है। इसलिये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर नई खाता संख्या 12 भूमि खसरा नम्बर 187/1.82, 209/0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम धान्या के स्थान पर धन्नाराम दुरुस्त किया जावे। उपरोक्त प्रकार की गलती एक टेक्नीकल एरर है, वादी प्रार्थना पत्र के समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत खिरोड का प्रमाण पत्र भी पेश कर रहा है, जो उक्त तथ्य को प्रमाणित करता है कि वादी के पिता का सही नाम धन्नाराम है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम धान्या के स्थान पर धन्नाराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। पक्षकाराना एवं भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने एवं निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में नई खाता संख्या 12 भूमि ख० न० 187/1.82, 209/0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टर में वादी के पिता का नाम धान्या के स्थान पर धन्नाराम दुरूस्त क़रने की कृपा करे तथा दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड,, अधार कार्ड, बैंक पास बुक व पैन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र आदि सभी में वादी के पिता का नाम धन्नाराम दर्ज है अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी पटवार हल्का खिरोड़ नई खाता संख्या 12 भूमि खसरा नम्बर 187/1.82, 209/0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टर में वादी के पिता का नाम धान्या के स्थान पर धन्नाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.19

उपखण्ड अधिकारी

(मुरारीलाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma

Date: 2019.11.29 18:24:12 IST

Reason: SelfAttested

Location: